रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1174] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 2014/ज्येष्ठ 10, 1936
No. 1174] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 2014/JYAISTHA 10, 1936

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2014

का. आ. 1420(अ).—जबकि चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार का बीच क्राफ्ट किंग एयर बी 200 विमान वीटी-एचआरए दिनांक 27.03.2014 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया ।

और जबकि केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि इस दुर्घटना के कारण और अंशदायी कारकों का अन्वेषण और निर्धारण किया जाना, और भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृति से बचने के लिए सिफारिश करना समयोचित है।

अब, वायुयान (दुर्घटना एवं घटना अन्वेषण) नियमावली, 2012 के नियम 11 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त दुर्घटना की औपचारिक जांच कराई जाए।

केन्द्रीय सरकार इस दुर्घटना की परिस्थितियों की जांच करने हेतु श्री आर. एस. पासी, उप निदेशक, एएआईबी, अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर एक जांच समिति नियुक्त करती है।

(i) कैप्टन अनिल चौधरी- प्रचालन सदस्य

(ii) श्री संजीव राय, इंजीनियरिंग सदस्य

समिति, जब भी अपेक्षित होगा, अन्य विशेषज्ञों/एजेंसियों की सहायता भी लेगी।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

समिति छह महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके इसकी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

[सं. एवी-15018/12/2014-वीई]

अरुण कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2014

S.O. 1420(E).—Whereas, Beech Craft King Air B 200 Aircraft VT-HRA of Govt. of Haryana met with an Accident at Chandigarh on 27.03.2014.

And whereas, it appears to the Central Government that it is expedient to investigate and determine the cause and contributory factors leading to the accident and make recommendation to avoid recurrence of such accident in future.

Now, in exercise of the powers conferred by the Rule 11 (1) of the Aircraft (Investigation of Accidents and Incidents) Rules 2012, the Central Government hereby directs that a formal inquiry of the said accident be held.

The Central Government is pleased to appoint a Committee of Inquiry headed by Sh. R. S. Passi, Deputy Director, AAIB with following member to inquire into the circumstances of this accident.

(i) Capt. Anil Chaudhari– Operational Member

(ii) Sh. Sanjeev Roy – Engineering Member

The committee will also take the assistance of other experts/agencies whenever required.

The headquarters of the Committee will be at New Delhi.

The Committee will complete its inquiry and submit its report to the Central Government preferably within six months.

[No. AV.15018/12/2014-VE]

ARUN KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054